निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 59 / 2010 तारीख दायरा 28.04.2010

उनवान

1. केसर बाई उर्फ कान्हीबाई बेवा भंवरलाल जाति गाडरी गूर्जर ।
2. मांगीलाल पुत्र भंवरलाल जाति गाडरी गूर्जर निवासीगण विनोदकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादी

बनाम

1. बाबूलाल आत्मज मथुरालाल जाति गाडरी गूर्जर निवासी विनोदकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सांगोद।
3. उपपंजीयन सांगोद जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 53,38,88,188,209 आर टी एक्ट

उपस्थित :–

श्री ओम प्रकाश शर्मा (वकील वादी) दिनॉक :– 15.12.2020

श्री दशरथ सिंह (वकील प्रतिवादी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:54 IST
Reason: SelfAttested

––निर्णय––

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि माल ग्राम विनोदकलां तहसील सांगोद में वादीगण एवं प्रतिवादी कमांक 1 के संयुक्त खाते व कब्जे की खाता सं0 नई 179 पुरानी 184 की निम्नलिखित आराजीयात जमाबन्दी सं0 2060 से 63 में दर्ज रिकोर्ड है :–

–:: विवरण आराजी ::–

खसरा नं0	रकबा	किस्म
350	3.06 हैक्टर	चाही तृतीय
378	0.36 हैक्टर	चाही प्रथम

कुल 2 किता की कुल 3.42 हेक्टर

उक्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 की पुश्तैनी पैतृक सम्पत्ति है। जो पूर्व खातेदार मथुरालाल गाडरी के खाते एवं कब्जे काश्त की रही है।

वदीगण का वंश शजरा निम्न प्रकार है–

मथुरालाल

भंवरलाल मृतक

बाबूलाल

केसरबाई मृतक
मृत्यु दिनांक 13.01.2009

केसरबाई उर्फ कान्हीबाई बेवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:30:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित सम्पत्ति वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, स्व0 मथुरालाल की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी जर्ये फौती नामान्तरण वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 एवं वादी कम 2 की वादी क्रमांक 1 की सास एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 की माता स्व0 केशरबाई को विरासतन प्राप्त हुई थी। जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम 1 का 1/3 हिस्सा एवं स्व0 केशरबाई पत्नी मथुरालाल का 1/3 हिस्सा आराजी उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी, जो जमाबन्दी सं0 2060 से 63 में उक्तानुसार दर्ज रिकार्ड है।

वादग्रस्त आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादी 1 के मध्य कानूनी विभाजन नही हुआ है, वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक अब तक आपसी सहमति से सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में 1/2–1/2 हिस्सा काश्त करते आ रहे है।

वर्ष दिनांक 16.01.2009 को वादीगण क्रम 1 की सगी दादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 की माता केशरबाई बेवा मथुरालाल जाति गाडरी का स्वर्गवास हो गया। स्व0 केशरबाई की मृत्युपरान्त सभी क्रियाकर्म, दाहंस्कार, नुकताबाडी इत्यादि समस्त दायित्व वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा सम्मलित रूप से ही वहन किये थे।

आज से एक माह पूर्व वादीगण पूर्व से ही अपने हिस्से में चली आ रही वादग्रस्त आराजी को काश्त करने गये, तो मौके पर प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वादीगण के हक व हिस्से की आराजी पर भी जबरन हकाई करना पाया गया। वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 से उक्त बाबत उलाहना देकर कहा, कि तुमने 2/3 हिस्सा आराजी क्यों काश्त कर ली, इस पर प्रतिवादी ने कहा, कि मेरे खाते में 2/3 हिस्सा आराजी खाते में दर्ज है, एवं तुम्हारे खाते में 1/3 हिस्सा आराजी दर्ज है। इसलिए मेने खाते में रिकार्ड के मुताबिक आराजी काश्त कर ली है।

प्रतिवादीगण क्रम 1 द्वारा अपने खाते में 2/3 हिस्सा खाते राजस्व रिकार्ड में आराजी वादग्रस्त दर्ज रिकार्ड होने की बात कहने पर वादीगण द्वारा हलका पटवारी से नकल प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि जर्ये रिलीज [illegible] 05.02.2009 से स्व0 केशरबाई के हिस्से पर भी बाबूलाल प्रतिवादी का [illegible] तहसील कार्यालय से नामान्तरण सं0 280 माल ग्राम विनोदकला [illegible] 2009 एवं रिलीज दिनांक 13.01.2009 की नकल प्राप्त करने पर वादीगण की जानकारी में आया, कि प्रतिवादी द्वारा षडयन्त्र पूर्वक फर्जी तरीके से मृतक केशरबाई बेवा मथुरालाल से उपपंजीयन कार्यालय में फर्जी रिलीज दस्तावेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

निष्पादित करवा लिये है, इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है, कि व अपने हितो की रक्षा के लिए सम्मानीय न्यायालय में वादकारिता पेश कर नामान्तरण सं0 280 दिनांक 05.02.2009 एवं रिलीज डीड दिनांक 13.01.2009 अपनी हितो के विरूद्ध शून्य प्रभावी घोषित करावे, एवं वादग्रस्त आराजी में अब तक आपसी सहमति से काश्त करते आ रहे 1/2 हिस्सा आराजी पर शांति पूर्वक काश्त करने हेतु प्रतिवादी नं01 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करे, एवं वादग्रस्त आराजी पेतृक सम्पत्ति होने एवं मृतक केसरबाई बेवा मथुरालाल व वादीगण क्रमांक 2 की सगी दादी एवं वादी क्रमांक 1 सास होने से वादीगण को उसके 1/3 हिस्सा आराजी को उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार में 1/2 हिस्सा आराजी प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। इस बाबत घोषणा की डिक्री भी सम्मानीय न्यायालय से वादीगण के लिए जारी करवाना आवश्यक हो गया, कि व अपने हक में जारी करावे एवं वादग्रस्त आराजी में अपने 1/2 हिस्सा आराजी को पृथक से खाते बंधाने की डिक्री प्राप्त करें, इस निमित्त वादपत्र पेश किया जा रहा है।

निम्नलिखित कारणों से नामान्तरण सं0 280 दिनांक 05.02.2009 व रिलीजडीड दिनांक 13.01.2009 वादीगण के हितो के विरूद्ध शून्य प्रभावी है :-

1. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 38 के प्रावधानो के अनुसार ही खातेदार कृषक अपने खातेदारी अधिकारी का अन्तरण कर सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 38 के तहत हकत्याग दस्तावेज के आधार पर खातेदार कृषक अपने हितों का अन्तरण नहीं कर सकता है। इसलिए दिनांक 13.01.2009 के हक दस्तावेज वादीगण के हितो के विरूद्ध कानूनन शून्य व निष्प्रभावी है।
2. प्रतिवादी द्वारा दिनांक 13.01.2009 को अपने पक्ष में मृतक खातेदार केसरबाई बेवा मथुरालाल से हकत्याग दस्तावेज पंजीयन कार्यालय सांगोद से पंजीयन करवाये है। जबकि खातेदार केशरबाई की मृत्यु हक त्याग दस्तावेज के पंजीयन के तीन दिन बाद दिनांक 16.01.2009 को हो गई एवं केशरबाई बेवा मथुरालाल [illegible] 90 वर्ष की वृद्ध व बीमार महिला थी, जो मृत्यु के करीब 15 रोज [illegible] बोलने व सुनने की क्षमता खो चुकी थी, ऐसी अवस्था में मृतक केसरबाई द्वारा उसकी स्वतन्त्र सहमति से हक त्याग दस्तावेज निष्पादित करना सन्देहास्प्रद होने से भी वादीगण के हितों के विरूद्ध शून्य प्रभावी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

वाद कारण आज से एक माह पूर्व प्रतिवादी कम 1 द्वारा अपने 1/2 हिस्से से अधिक आराजी काश्त करने का प्रयास करने एवं मना करने पर अपने हक में 2/3 हिस्सा वादग्रस्त आराजी खाते में अंकन होने एवं अपने हक में मृतक केसरबाई द्वारा रिलीज डीड पंजीयन की बात कहने पर वादीगण द्वारा हलका पटवारी व तहसील कार्यालय से नकलें प्राप्त करने एवं खाते की नकल से केसरबाई बेवा मथुरालाल के स्थान पर हकत्याग दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी का नाम दर्ज होने की जानकारी होने से वादीगण को वाद कारण पैदा हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्ध निम्न आशय की डिकी सादिर प्रदार की जावे कि :–

यह घोषित किया जावे, कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वादीगण 1ता2 हिस्सा 1/2 आराजी प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद पत्र की मद नं0 1 में अंकित आराजी में मृतक खातेदार केसरबाई बेवा मथुरालाल वादीगण की सगी दादी होने से वादीगण को उसकी मृत्यु के बाद उसके 1/3 हिस्सा आराजी में से 1/2 हिस्सा विरासतन प्राप्त करने का अधिकार है, एवं राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत फर्जी रिलीजडीड दिनांक 13.01.2009 के आधार पर दिनांक 05.02.2009 को खोला गया नामान्तरण सं0 280 वादीगण के हितों के विरूद्ध शून्य प्रभावी व निष्प्रभावी है, इस आशय की वादीगण के हक में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणा की डिकी पारित फरमावें। वादग्रस्त आराजी में वादीगण को उनके हिस्से की आराजी को शांति पूर्व काश्त करने में प्रतिवादी कम 1 किसी प्रकार से मदाखलत व मजामहत न तो स्वयें करे, और न ही अपने नौकरों, एजेन्टो से करावें।

वादीगण के पक्ष में वादग्रस्त आराजी में से 1/2 हिस्सा आराजी अच्छी व बुरी में से बुरी का विभाजन की डिकी पारित कर वादीगण के खाते वादपत्र की मद न0 1 वर्णित आराजी का पृथक से खाते में अंकन किया जावे, एवं पृथक से राज लगान का भी अंकन किया जावे, एवं मुताबिक डिकी वादीगण को जरिये तहसीलदार सांगोद मौके पर दखल दिलाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:54 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलबी की गई। प्रतिवादी सं.1 की ओर से वकील श्री दशरथ सिंह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

साक्ष्य प्रस्तुत किए गए तथा बहस में पारिवारिक सेटलमैन्ट के आधार पर वाद डिक्री किया जाने की प्रार्थना की। पारिवारिक सेटलमैन्ट के तथ्य निम्न प्रकार है–

वादी सं.2 एवं प्रतिवादी सं.1 के खाते एवं कब्जे काश्त की माल ग्राम विनोदकलां पटवार क्षेत्र विनोद खुर्द के माल में खाता सं. नई 190 पुरानी 179 के खसरा नं. 350 की 3.06 है. व ख.न. 378 की 0.36 है. कुल 2 किता की कुल 3.42 है. आराजी स्थित है जो पैतृक आराजी है। उक्त आराजी में वादी सं.2 एवं प्रतिवादी सं.1 का साझेदारी में खाता अंकित है, उक्त आराजी में पूर्व खातेदार मथुरालाल जी की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी सं.1 बाबूलाल एवं वादी सं.2 मांगीलाल के पिता व केसरबाई उर्फ कान्ही बाई के पति भंवरलाल एवं माता केसरबाई बेवा मथुरालाल के नाम फौती इंतकाल तस्दीक होकर 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड हुआ था।

उक्त आराजी में स्वं मथुरालाल जी की मृत्यु के बाद आपसी पारिवारिक समझौते से विभाजन से प्रतिवादी सं.1 व वादी सं.2 मांगीलाल के पिता व केसरबाई उर्फ कान्ही बाई के पति स्व. भवंरलाल ने अपनी माता केसरबाई की सहमति से उपरोक्त वर्णित आराजी में हिस्सा विभाजन कर लिया था जिसके मुताबिक मौके पर प्रतिवादी सं.1 के हिस्से में निम्न आराजी आयी है–

खसरा न.	रकबा
350	3.06 है. में से 1.60 है. दक्षिण दिशा में गोपाल खाती के खेत के लगवा
378	0.36 है. में से 1/2 अर्थात 0.18 है. पश्चिम लालूराम बैरवा के पास वाली
कुल 2 किता की कुल 3.42 है.	में से 1.78 है. आराजी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:54 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा विवरण आराजी वादी सं.2 मांगीलाल व केसरबाई उर्फ कान्ही बाई–

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

खसरा न.	रकबा
350	3.06 है. में से 1.46 है. उत्तर दिशा में कविराजा माधोसिंह के खेत के लगवा
378	0.36 है. में से 1/2 अर्थात 0.18 है. पूर्वी धन्नालाल बैरागी के पास वाली
कुल 2 किता	की कुल 3.42 है. में से 1.64 है. आराजी

उपरोक्त वर्णितानुसार हिस्सा आराजी को मौके पर बरसों पूर्व से पक्षकार पारिवारिक बंटवारे अनुसार काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। प्रतिवादी सं.1 की माता एवं वादी सं.2 मांगीलाल की दादी केसर बाई का इंतकाल हो जाने के कारण पूर्व से चले आ रहे पारिवारिक बंटवारे को लेकर दोनों के बीच हिस्सा आराजी का विवाद हो गया था व मृत्यु से पूर्व केसरबाई से प्रतिवादी सं.1 ने अपने हक में रिलीज करा ली थी। इस कारण से वादी सं.2 द्वारा उपजिला कलेक्टर सांगोद के न्यायालय में आराजी का बंटवारा व हक त्याग दस्तावेज के निरस्तीकरण का वाद प्रस्तुत किया था जो वर्तमान में उपजिला कलेक्टर सांगोद के न्यायालय में विचाराधीन है। हम पक्षकारान के बीच ग्राम के समझदार व्यक्ति व समाज के समझदार व्यक्तियों द्वारा आपसी समझाईशस कर दी गई है जिसके तहत हम दोनों पक्षकार ही उपरोक्त वर्णितानुसार हिस्सा आराजी आपस में विभाजन करवाने में सहमत हैं। हम दोनों ही पक्षकार उपजिला कलेक्टर न्यायालय में उपस्थित होकर स्वेच्छा से हमारे द्वारा किये गये आपसी पारिवारिक विभाजन अनुसार उपजिला कलेक्टर न्यायालय में चल रहे वाद में राजीनामा प्रस्तुत कर देगें। यदि कोई कानूनी पेचीदगी पैदा होती है और उसमें अतिरिक्त पैसा वहन करना पड़ता है तो उस खर्चे को वादी सं.2 वहन करेगा एवं जहां पर उपस्थित होकर हस्ताक्षर करने एवं स्वीकृति स्वरूप उपस्थित होने की आवश्यकता होगी वहां प्रतिवादी सं.1 स्वयं उपस्थित होकर पूर्ण [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:54 IST
Reason: SelfAttested

खसरा न. 350 में पक्षकारान ने [illegible] करवाया था उसमें दो हिस्से की रकम प्रतिवादी सं.1 ने वहन की थी तथा एक हिस्से की रकम मांगीलाल ने वहन की थी। ट्यूबवेल सूख गया है इसलिए मोटर व पाइप निकाल कर दोनों पक्षकार रजामंदी से इन्हें विक्रय कर देगें

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

एवं प्राप्त राशि में से दो हिस्सा प्रतिवादी सं.1 बाबूलाल एवं एक हिस्सा राशि वादी सं.2 मांगीलाल की रहेगी। प्रतिवादी सं.1 ख.न. 350 की आराजी को काश्त करने के लिए वादी सं.2 के हिस्से में मेड के सहारे काश्तकारी के निमित्त आ जा सकेगा।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया ओर पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड, पारिवारिक सेटलमैन्ट(राजीनामा) इत्यादि का अवलोकन करने पर राजीनामे के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि–

माल ग्राम बिनोदकलां तहसील सांगोद में वादीगण एवं प्रतिवादी कमांक 1 के संयुक्त खाते व कब्जे की खाता सं0 नई 179 पुरानी 184 की जमाबन्दी सं0 2060 से 63 में दर्ज रिकोर्ड ख.न. 350 व 378 कुल 2 किता की कुल 3.42 है. आराजी में पक्षकारान को निम्नानुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है–

प्रतिवादी सं.1 के हिस्से की आराजी –

खसरा न.	रकबा
350	3.06 है. में से 1.60 है. दक्षिण दिशा में गोपाल खाती के खेत के लगवा
378	0.36 है. में से 1/2 अर्थात 0.18 है. पश्चिम लालूराम बैरवा के पास वाली
कुल 2 किता की कुल 3.42 है.	में से 1.78 है. आराजी

वादी सं.2 मांगीलाल व केसरबाई उर्फ कान्ही बाई के हिस्से की आराजी–

खसरा न.	रकबा
350	3.06 है. में से 1.46 है. उत्तर दिशा में कविराजा माधोसिंह के खेत के लगवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:30:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

378 0.36 है. में से 1/2 अर्थात 0.18 है. पूर्वी धन्नालाल बैरागी के पास वाली

कुल 2 किता की कुल 3.42 है. में से 1.64 है. आराजी

उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रकरण में वर्णित आराजी पर रहन होने की स्थिति प्रथम चार्ज बैंक का होने के कारण रहन यथावत रहेगा। यदि किसी व्यक्ति विशेष के स्वयं के हिस्से तक रहन है तो निर्णय के पश्चात रहन उक्त व्यक्ति पर यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 15.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:54 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

यथावत रहेगा। यदि किसी व्यक्ति विशेष के स्वयं के हिस्से तक रहन है तो निर्णय के पश्चात रहन उक्त व्यक्ति पर यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोट

निर्णय आज दिनांक 15.12.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:30:54 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 59 / 2010 तारीख दायरा 28.04.2010

उनवान

1. केसर बाई उर्फ कान्हीबाई बेवा भंवरलाल जाति गाडरी गूर्जर ।
2. मांगीलाल पुत्र भंवरलाल जाति गाडरी गूर्जर निवासीगण विनोदकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादी

बनाम

1. बाबूलाल आत्मज मथुरालाल जाति गाडरी गूर्जर निवासी विनोदकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सांगोद।
3. उपपंजीयन सांगोद जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 53,38,88,188,209 आर टी एक्ट

उपस्थित :–

श्री ओम प्रकाश शर्मा (वकील वादी) दिनॉक :– 15.12.2020

श्री दशरथ सिंह (वकील प्रतिवादी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:30:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री ओम प्रकाश शर्मा मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

माल ग्राम विनोदकलां तहसील सांगोद में वादीगण एवं प्रतिवादी कमांक 1 के संयुक्त खाते व कब्जे की खाता सं0 नई 179 पुरानी 184 की जमाबन्दी सं0 2060 से 63 में दर्ज रिकोर्ड ख.न. 350 व 378 कुल 2 किता की कुल 3.42 है. आराजी में पक्षकारान को निम्नानुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है–

प्रतिवादी सं.1 के हिस्से की आराजी –

खसरा न.	रकबा
350	3.06 है. में से 1.60 है. दक्षिण दिशा में गोपाल खाती के खेत के लगवा
378	0.36 है. में से 1/2 अर्थात 0.18 है. पश्चिम लालूराम बैरवा के पास वाली
कुल 2 किता	की कुल 3.42 है. में से 1.78 है. आराजी

वादी सं.2 मांगीलाल व केसरबाई उर्फ कान्ही बाई के हिस्से की आराजी–

खसरा न.	रकबा
350	3.06 है. में से 1.46 है. उत्तर दिशा में कविराजा माधोसिंह के खेत के लगवा
378	0.36 है. में से 1/2 अर्थात 0.18 है. पूर्वी धन्नालाल बैरागी के पास वाली
कुल 2 किता	की कुल 3.42 है. में से 1.64 है. आरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:30:54 IST
Reason: SelfAttested

उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर माल रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रकरण में वर्णित आराजी पर रहन होने की स्थिति प्रथम चार्ज बैंक का होने के कारण रहन

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा